संशोधित

-:: नि य मा व ली ::-

1. संस्था का नाम : राना शिव बम्बर सिंह मेमोरियल एण्ड चैरिटेबिल सोसाइटी ।

2- संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट छज्जर गांव, तहसील डलमऊ, रायबरेली ।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश । पते में किसी भीप्रकार के परिवर्तन की सूचना खादी व ग्रामोद्योग आयोग के साथ-2 संस्था के पंजीकरण अधिकारियों को परिवर्तन के 15 दिन के अन्दर दी जायेगी ।

4- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

जो व्यक्ति रूपया 51/- वार्षिक चन्दा देगा वह उस संस्था का सामान्य सदस्य होगा ।

5- सदस्यता की समाप्ति :

(1) मृत्यु हो जाने पर, (2) पागल या दिवालिया हो जाने पर (3) संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर, (4) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर (5) सदस्यता शुल्क न देने पर (6) लगातार तीन गोष्ठियों में न उपस्थित होने पर (7) दो/तीन (2/3) बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर या 5 सदस्यों के प्रस्ताव पर ।

6- संस्था के अंग :

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7- साधारण सभा :

गठन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठकें साल में एक बार होगी और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि : साधान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवम् विशेष बैठक की सूचना सात दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी ।

विशेष बैठक: एक विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से की जायेगी ।

साधारण सभा के कर्तव्य :

(1) प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

§2§ वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

§3§ वार्षिक बजट पास करना ।

8- प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, मंत्री-प्रबन्धक उप प्रबन्धक-1, कोषाध्यक्ष - 1 तथा 6 अन्य सदस्य होंगे । इस प्रकार कुल संख्या ग्यारह होगी जो जरूरत पड़ने पर बढ़ायी तथा घटायी जा सकती है ।

बैठकें : सामान्य बैठक साल में चार बार होगी और विशेष बैठक कभी भी जरूरत पड़ने पर बुलायी जा सकती है ।

सूचना अवधि : सामान्य बैठक की सूचना सात दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति : कुल सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी परन्तु स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक न होगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

§1§ संस्था के उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।

§2§ वार्षिक रिपोर्ट व बजट तैयार करना ।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्य - काल तीन साल का होगा ।

9- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष : §1§ समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना ।

§2§ बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना, परिवर्तनकरना एवं बैठकों को स्थगित करना ।

§3§ समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना ।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना ।

मंत्री प्रबन्धक :

(1) राज्य सरकार (उत्तर प्रदेश फाइनेन्सियल कारपोरेशन इत्यादि) व केन्द्र सरकार एवम् पंजीकृत बैंकों से ऋण लेना व संस्था की ओर से समस्त ऋण सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पूर्ण करना । व अपने हस्ताक्षर द्वारा प्राप्त करना ।

(2) संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना ।

(3) बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना ।

(4) बैठक की कार्यवाही लिपिवद्ध करना ।

(5) सदस्यों का नाम, सदस्यता रजिस्टर में लिखना ।

(6) संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।

(7) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

(8) पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना ।

(9) संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना ।

(10) समस्त बिल या वाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

(11) संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना ।

(12) संस्था के चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना ।

(13) कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि करना ।

(14) सदस्यों की सदस्यता के लिए स्वीकृति देना ।

(15) रुपये 500/- तक व्यय करने का अधिकार होगा ।

(16) संस्था के सभी अभिलेख सुरक्षित रखना ।

(17) समय समय पर संस्था का निरीक्षण करना तथा सदस्यों एवम् पदाधिकारियों को उचित निर्देश देना ।

उप प्रबन्धक :

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके द्वारा लिखित रूप दिये गये कार्यों का निर्वाह करना तथा उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना ।

कोषाध्यक्ष :

§1§ आय - व्यय का लेखा जोखा रखना ।

§2§ मंत्री प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना ।

§3§ रूपया 100/- तक नकद कोष रखना ।

10· संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन व प्रक्रिया :

साधारण सभा के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया जायेगा ।

11- संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा जो मंत्री प्रबन्धक व अध्यक्ष के हस्ताक्षरसे निकाला जायेगा ।

12- संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट प्रतिवर्ष किसी योग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

13- संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही :-

संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व मंत्री पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की ज

14- संस्था के अभिलेख :-

§1§ सदस्यता रजिस्टर

§2§ कार्यवाही रजिस्टर

§3§ स्टाक रजिस्टर

§4§ कैश बुक आदि

15. संस्था का दायित्व :

संस्था खादी तथा खादी बोर्ड, खादी आयोग, कुटीर एवं ग्रामीण जनता उद्योग निदेशालय या अन्य किसी वित्तीय संस्था से जो भी आर्थिक सहायता प्राप्त करेगी उसके विपक्ष और ऋण दाता के पक्ष में संस्था अपनी या अपने सदस्यों की अथवा अपने किसी एक सदस्य की चल/अचल सम्पत्ति को निबन्धन अधिनियम की धारा 5 ए के अनुसार सम्यक बन्धक करेगी ।

प्राप्त ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व संस्था के प्रत्येक सदस्य का सामूहिक/व्यक्तिगत दायित्व होगा यदि कोई सदस्य संस्था से त्याग-पत्र देता है तो भी ऋण अदायगी की जिम्मेदारी उसकी अपनी तब तक बनी रहेगी जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नहीं होगी और सम्बन्धित वित्तीय संस्थान जब तक अदेयता का प्रमाण-पत्र नहीं दे देता है ।

16. विघटन :

यदि किसी कारण से राना शिव अम्बर सिंह मेमोरियल एण्ड चैरिटेबुल सोसाइटी की गतिविधियां रुक गई हो अथवा समाप्त की जानी हो तो प्रबन्ध समिति इसे एक संकल्प द्वारा सभा को सिफारिस करेगी जो बैठक में तीस दिन की लिखित नोटिस देने के पश्चात संस्था को विघटित करने हेतु निर्णय विशेष रूप से आयोजित बैठक में तीन चौथाई सदस्यों की सहमति लेगी ।

समिति के विघटन पर इसके सभी कर्जों तथा देय देयताओं की संतुष्टि के पश्चात यदि कोई परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों चल अथवा अचल जो भी हों बाकी बच जाता है । संस्था तथा दानकर्ताओं के बीच सहमति जो किसी न्याय अथवा न्यायों से प्रभावित न हो, उसे संस्था के सदस्यों/पदाधिकारियों में से किसी को वितरित नहीं किया जायेगा ।

क्रमशः 6

अपितु इसे सामान उद्देश्यों वाली किसी दूसरी संस्था को विशेष रूप से आयोजित आम सभा की बैठक में उपस्थित कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के मतों से अथवा उसके अभाव में जिले के क्षेत्र के प्रधान न्यायालय जिसमें संस्था का पंजीकृत विभाग स्थित है, अवधारित किया जायेगा ।

17- कमीशन का निदेशक या उससे उच्च स्तर का अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी जब चाहे संस्था के अभिलेखों की जाँच कर सकता है ।

1- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों को अपनाना । खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड से आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं आवश्यकता पड़ने पर अपनी अचल सम्पत्ति आयोग/बोर्ड के पक्ष में रखना/बन्धक करना ।

2- खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा जारी किये गये ऋण सहायता प्रमाण-पत्र के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करना एवं इसके एवज में बैंकों को अपनी अचल सम्पत्ति बन्धक रखना ।

3- समिति के पदाधिकारियों के बदलाओं पर कमीशन अथवा बोर्ड पर पूर्व अनुमति प्राप्त करना ।

4- समिति के प्रस्तावित उद्योगों में कार्यरत मजदूरों का तत्कालिक बाजार भाव से भुगतान करना ।

5- समिति बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देशित सभी नियम उपनियम तथा संशोधन समिति को मान्य होंगें ।

<u>ऋण अदायगी का दायित्व:</u>

यदि समिति खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा वांछित वित्तीय सहायता एवं कोष में ऋण आदि प्राप्त करता है तो उसकी अदायगी और सुरक्षा के लिये प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य व पदाधिकारी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगें जब तक सम्पूर्ण ऋण अदायगी नहीं हो पाती उसका उसका दायित्व बना रहेगा चाहे वह सदस्यता से पृथक हो जाये ।

क्रमशः-- 7

परिभाषा -

(क) संस्था का अभिप्राय : राजा शिव अम्बर सिंह मेमोरियल एवं पेरिटेबुल सोसाइटी ।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अभिप्राय : खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग।

(ग) राज्य मण्डल का अभिप्राय : खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ।

(घ) खादी का अभिप्राय : भारत में हाथ द्वारा कते सूती रेशमी तथा ऊनी धागे अथवा किसी दो अथवा उपर्युक्त सभी के मिश्रण से हथकरघों पर बुना कपड़ा ।

(ङ) ग्रामोद्योग का अभिप्राय : खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 (एच) के अन्तर्गत तथा परिभाषित ग्रामोद्योग ।

(छ) पदाधिकारियों में सम्मिलित होंगे : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा मन्त्री, संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी प्रकार के परिवर्तन, मध्यावधि परिवर्तन के सम्बन्ध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ज) वर्ष का अभिप्राय : 1 अप्रैल से प्रारम्भ तथा आगामी 31 मार्च तक समाप्त वित्तीय वर्ष ।

(झ) व्यक्तिगत : वैयक्तिक, प्रतिष्ठान, सोसाइटी, बैंक, क्लब, संघ (एसोसियेशन) निगम तथा नियमित निकाय से अभिप्रेत है एवं सम्मिलित होगा ।

(ट) पुर्लिंग तथा एक वचन शब्दों के साथ क्रमशः स्त्रीलिंग तथा बहुवचन तथा उसके विपरीत क्रम शामिल होंगे ।

विविध-

1- खादी ग्रामोद्योगों के विकास हेतु खारी और ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य निर्मित निकायों बैंकिंग संस्थाओं और कोई भी दूसरे वित्तीय

क्रमशः ---8

प्राधिकरणों/संस्थाओं से ऋण अनुदान तथा अपदान, खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु मान्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करना ।

2- खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाण-पत्र समिति के निर्देशानुसार अतिरिक्त मार्जिन का उपयोग कामगारों के लाभार्थ किया जायेगा ।

3- मानक मजदूरी भुगतान तथा मूल्य निर्धारण के मामले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रमाण-पत्र समिति द्वारा निर्धारित नियम केन्द्रीय प्रमाण-पत्र समिति लखनऊ के अनुसमर्थन से प्रमाणीकरण नियमों के अनुसार संस्था द्वारा लागू किया जायेगा ।

4- यदि किसी कारणवश संस्था की गतिविधियाँ पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बन्द हो जाती हैं तो खादी ग्रामोद्योग आयोग को देय ऋण शेष रह जाते हैं तो आयोग पहले संस्था की चल या अचल सम्पत्ति पर अपना प्रथम अधिकार रखेगा और संस्था किसी भी प्रकार के चल अचल सम्पत्ति को तब तक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्थाओं को हस्तानान्तरित या बेंच नहीं सकती है ।

5- किसी मामले में यदि खादी ग्रामोद्योग आयोग का कोई ऋण बकाया है तो वे संस्था अपनी चल अचल सम्पत्ति को बेचने का तभी पात्र होगी जब उसने आयोग के सभी ऋणों को वापिस कर दिया हो तो इसके लिये आयोग के अधिकृत अधिकारी या अधिकारियों से क्लीयरेंस सार्टिफिकेट ले लिया हो ।

6- संस्था को खादी और ग्रामोद्योग आयोग से कोई ऋण या अनुदान के रूप में प्राप्त आर्थिक सहायता संस्था द्वारा केवल उसी उद्देश्य के लिये उपयोगिता में लायी जायेगी जिसके लिये वह स्वीकृति की गयी है और इसे किसी भी दशा में किसी दूसरे उद्देश्य के लिये उपयोग में नहीं लाई जा सकती ।

Devendra Pratap Singh

मंत्री/प्रबन्धक

[illegible]

तोलाहटी, पो० व जि० [illegible]